मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

(574, साउथ सिविल लाईन्स)

//आदेश//

क्रमांक फा.नं. 18/स्था0/राविसेप्रा/ 805 /2022 जबलपुर दिनांक 09/05/2022

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा **जिला विधिक सहायता अधिकारी** (प्रवेश स्तर) के पद हेतु निम्नांकित चयनित अभ्यार्थी को **वेतनमान 56100–177500** में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित **तीन वर्ष की परिवीक्षा** पर अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्ति प्रदान की जाकर सारणी के **कॉलम नम्बर–05** में दर्शित **पदस्थापना स्थान पर** पदस्थ किया जाता है।

क्र.	रोल नम्बर	नाम व पिता का नाम	गृह जिला	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5
1	MPAO2104568	श्री हर्षित बिसेन, पिता श्री भुवनेश्वर प्रसाद बिसेन	टैगोर वार्ड, रिलायंस टावर के पास थाना कोतवाली जिला सिवनी	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच

उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थीगण को वित्त विभाग के अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 फरवरी 2020 के अधीन **जिला विधिक सहायता अधिकारी** (प्रवेश स्तर) के **वेतनमान 56100–177500 के** न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।

उक्त अभ्यर्थीगण पदस्थापना स्थल पर दिनांक 25.05.2022 अथवा इसके पूर्व पदभार ग्रहण करेंगे।

शर्तेः–

1– वे भारत के संविधान एवं संप्रभुता में निष्ठा रखेगें।

2– म.प्र.सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत नियमों का पालन करेगें।

3– मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(अस्थायी तथा अर्द्व स्थायी सेवा) नियम,1960 के नियम 12 (ए) के अनुसार किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

4– एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर वेतन तथा भत्ते की राशि भू–राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी।

5– उन्हे मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार भोपाल दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियो पर परिभाषित पेंशन अंशदान योजना, 2005 लागू होगी।

6– अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण के करने के 15 दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय पर संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

7– कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत अन्य किसी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने या पत्राचार करने के पूर्व राज्य प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशांसनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

8– आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

9– अभ्यर्थीगण द्वारा नियत समयसीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनकी नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।

10– अभ्यर्थियो द्वारा ज्वाईनिंग करने के उपरान्त नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों के पालन संबंधी अभिस्वीकृति पत्र एवं उपस्थिति प्रतिवेदन उचित माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को प्रेषित किया जावेगा।

11– इनकी सेवायें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियन्त्रण में रहेगी।

12– इन नियुक्तियों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 व उसके तहत राज्य शासन द्वारा जारी उपबंधो का अनुपालन किया गया है।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार

9/5/22

(राजीव कर्महे)
सदस्य सचिव

पृष्ठा0क0 फा0नं0 18/स्था0/राविसेप्रा0/ 885/2022 जबलपुर, दिनांक 9/05/2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (द्वितीय) मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक सह–आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश पर्यावास भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर मध्य प्रदेश राज्यपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि नीमच में जिला विधिक सहायता अधिकारी की नियमित पदस्थापना होने के कारण जिला विधिक सहायता अधिकारी मंदसौर को नीमच लिंक कार्य से मुक्त किया जाता है।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर।
10. श्री हर्षित बिसेन, पिता श्री भुवनेश्वर प्रसाद बिसेन, टैगोर वार्ड,रिलायंस टावर के पास थाना कोतवाली जिला सिवनी की ओर पालनार्थ।
11. वेतन लिपिक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. आई.टी. शाखा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु।
13. स्थापना शाखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9/5/22

(राजीव कर्महे)
सदस्य सचिव